सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण संख्या :– 25/2017

बउनवान

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दिनेश जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन उम्र 32 वर्ष जाति जैन निवासी झालावाड रोड तेल फेक्ट्री बारां (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स जैन ब्रदर्स, तेल फैक्ट्री झालावाड रोड, बारां।
2. श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री शान्ति कुमार जैन जाति जैन, निवासी प्रताप चौक बारां (मालिक एवं विक्रता) मैसर्स अभिषेक कुमार एण्ड कम्पनी, प्रताप चौक बारां।
3. श्री नितिन गुप्ता, निवासी एच–501, वॉन्डर सिटी, कटराज, पूणे, महाराष्ट्र (निदेशक–1) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
4. श्री विजय कुमार, निवासी 352 सेक्टर 1 अम्बाला सिटी, राजस्थान(निदेशक–2) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
5. श्री विमल कुमार अग्रवाल, एच–35, गांधी नगर, ग्वायिर, मध्यप्रदेश (निदेशक–3) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
6. श्री बनारसी लाल अरोरा, निवासी एफबी/2, बेदीया डांगा, 1 लेन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल (निदेशक–4) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
7. श्री रविन सालूजा, निवासी एफबी/2, बेदीया डांगा, 1 लेन, कोलकाता, वेस्ट बंगाल (निदेशक–5) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
8. श्री लक्ष्मी नारायण, निवासी एनडी–69, विशाखा इन्कलेव, पिताम्पुरा देहली (निदेशक–6) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
9. श्री शरद सलूजा, निवासी एस–329, ग्रेटर केलाश–2 न्यू देहली(निदेशक–7) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 8/385, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023(Raj)
10. श्री जय हिन्द मिश्रा पुत्र श्री राम समुज मिश्रा (नोमिनि) M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 74-76 Phase-1 HSLDC Industries Area, Kundi, Dist. Sonepat (Haryana).
11. M/s STERLING AGRO INDUSRTRIES, 74-76 Phase-1 HSLDC Industries Area, Kundi, Dist. Sonepat (Haryana).

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 30.1.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.8.2016 को मैसर्स जैन ब्रदर्स तेल फैक्ट्री झालावाड रोड बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दिनेश जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 27.8.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक** मे विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। उक्त **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया। नमूना जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** विक्रेता से 500 मि0ली0 के 4 पैकिट वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत श्री दिनेश जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन को 700/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **घी (नोवा)** 500 मि0ली0 के 4 पैकिट को अलग–अलग कर चार भागो मे विभक्त कर मूल पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–640 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 640 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमुना भागो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/284 दिनांक 2.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.108/FSSA/Kota/Act/2016/70 दिनांक 24.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया।

उक्त केस मे अप्रार्थीगण ने मिथ्याछाप (Mis Branded) **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिउत्तर मे वेट–03 फार्म एवं क्रय बिल खाद्य अनुज्ञा पत्र आदि कार्यालय मे पेश किये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.7.2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक का वास्ते नमुना जॉच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृतय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी को धारा 52 के तहत भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक प्रस्तुत जवाब के कथनो को दोहराते हुये कहा गया कि प्रकरण मिसब्रांड मानते हुये प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 32 एफ.एस.एस.ए एक्ट–2006 के तहत मिसब्रांड के प्रकरणो मे नोटिस प्रेषित कर अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना की जानी चाहिए थी। जो कि नही की गई है। नोवा घी मे कोई भी कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त नही है। अतः पैकेज पर उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल अधिनियम के अनुसार लगाया जाना आवश्यक नही है। किन्तु फिर भी मिन प्रत्यर्थी द्वारा Nutritional Information Per 100 gm को सुधार कर दुरूस्त कर लिया गया था। (जिसके सुधार किये गये पैकिंग की प्रति पत्रावली मे संलग्न है) बिना चेतावनी दिये न्याय निर्णयन आवेदन पत्र दायर करने को Harassment मानते हुये एफ.एस.एस.ए.आई. मे दिनांक 17.1.2018 को Advisory जारी कर इस प्रकार के प्रकरण Rectification Process के तहत निर्देश जारी किये गये है। खाद्य विश्लेषक ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे नमूना किस कारण से मिस ब्राण्ड होता है यह जॉच रिपोर्ट मे कही भी उल्लेखित नही किया है। इस कारण केवल मात्र खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से प्रत्यार्थीगण के विरूद्व मिस ब्राण्ड का प्रकरण आयद नही होता है। यहॉ उल्लेख करना समाचीन होगा कि प्रस्तुत प्रकरण मे नोवा घी के नमूने को मिथ्याछाप वाला खाद्य पदार्थ माना है एवं घी मे केवल एक मात्र संघटक दूध वसा (Milk Fat) है। विधि के अनुसार पोषणकारी जानकारी दिये जाने की अनिवार्यता न होने पर भी प्रश्नगत घी के नमूने मे कम्पनी द्वारा पोषणकारी जानकारी भी नियमानुसार दी है। अतः लेब की रिपोर्ट क्रमांक L.S.108/FSSA/Kota/Act/2016/70 दिनांक 24.10.2016 मे उल्लेखित मिथ्याछाप की राय निरस्त किये जाने योग्य है। फुड एनालिस्ट को नमूने को मिस ब्राण्ड घोषित करने का कोई अधिकार नही है, क्योकि कन्टेनर पर जो लेबल डिक्लेरेशन होता है उसकी जॉच का प्रावधान धारा–46 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 मे दिया हुआ नही है। फूड एनालिस्ट को केवल मात्र नमूने की जांच कर विश्लेषण रिपोर्ट देनी होती है न कि मिस ब्राण्ड की राय देनी होती है। जैसा कि धारा–46 एफएसएस एक्ट मे दिया हुआ है। Under Section 32 of Fss Act in Cases Involving Minor labolling Defects वाले प्रकरणो मे सुधारात्मक निर्देश दिये जाकर निस्तारित किये जाने चाहिये। अतः प्रस्तुत प्रकरण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.108/FSSA/Kota/Act/2016/70 दिनांक 24.10.2016 के बाद अप्रार्थीगण को एक माह का समय उक्त खाद्य पदार्थ घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक की पुनः जॉच करवाने हेतु दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा पुनः जॉच नही करवायी गयी है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 500 मि0ली0 पैक** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। अप्रार्थीगण क्रम 3 ता 11 को धारा 52 के तहत 50,000/––रूपये, (अक्षरे पचास हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है ओर आदेशित किया जाता है कि उक्त पुरानी पैकिंग लेबलिंग का घी नोवा दिनांक 1.4.2019 के पश्चात मार्केट मे विक्रय हेतु नही रखा जावे। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)